न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 –168/2018

अनवान : –

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सन्तोष पत्नी स्व0 श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द जाति जाट नि0 नेठराना त0 भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र नानक जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. नेतराम पुत्र नानक जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री दलवीर बैनीवाल वादी
श्री प्रहलाद सिंह प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 22/3/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 99/90 के मु0न0 27 के किला न06, 12 ता 19 मु0न0 28 के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 19, 20 की कुल 4.807है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता स्व0 श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द के नाम 0.253है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है, राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम हरचन्द पुत्र नानक दर्ज है जबकि वादी के पिता का नाम दस्तावेज के आधार पर कृष्ण पुत्र नानक है। वादी के पिता की मृत्यु हो चूकी है, लेकिन नाम में भिन्नता होने के कारण विरासतन नामान्तरण वादी व प्रतिवादीसं0 1 वादी की माता के पक्ष में दर्ज नहीं हुआ है, और आज दिनांक तक वाद भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज होने से वादी के हको पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं0 2 व 3 सह खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डीकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 99/90 के मु0न0 27 के किला न06, 12 ता 19 मु0न0 28 के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 19, 20। की कुल 4.807है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता स्व0 श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द के नाम 0.253है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी के पिता का नाम हरचन्द पुत्र नानक दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिपॉर्ट व शपथ पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वादी के पिता का नाम कृष्ण होना साबित है। इस प्रकार वाद भूमि में हरचन्द के नाम से दर्ज कृषि भूमि में हरचन्द उर्फ श्री कृष्ण के वारिस के रूप में वादी राजेन्द्र प्रसाद व प्रतिवादी सं0 1 सन्तोष खातेदार है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 99/90 के मु0न0 27 के किला न06, 12 ता 19 मु0न0 28 के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 19, 20। की कुल 4.807है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता स्व0 श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द के नाम 0.253है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें हरचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजेन्द्रप्रसाद पुत्र कृष्ण उर्फ हरचन्द, प्रतिवादी सं0 1 सन्तोष पत्नी कृष्ण उर्फ हरचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 168 / 2018

अनवान : –

राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. सन्तोष पत्नी स्व0 श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द जाति जाट नि0 नेठराना त0 भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र नानक जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. नेतराम पुत्र नानक जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलवीर बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री प्रहलादसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 99 / 90 के मु0न0 27 के किला न06, 12 ता 19 मु0न0 28 के किला न0 2, 3, 8 ता 13, 19, 20। की कुल 4.807है0 नहरी खातेदारी में वादी के पिता स्व0 श्री कृष्ण उर्फ हरचन्द के नाम 0.253है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें हरचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजेन्द्रप्रसाद पुत्र कृष्ण उर्फ हरचन्द, प्रतिवादी सं0 1 सन्तोष पत्नी कृष्ण उर्फ हरचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़